प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय आई. एम. कुद्दुसी एवं

माननीय जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीशगण

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 173/2006

उमेश चंद्र पाणिग्रही

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही/-

न्यायाधीश

14/11/2011

माननीय श्री न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन

मैं सहमत हूँ।

सही/-

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

दिनांक 18/11/2011 को सूचीबद्ध करें

सही/-

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ माननीय आई. एम. कुद्दुसी और

माननीय जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाध

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 173 2006

आवेदक: उमेश चंद्र पाणिग्रही

बनाम

अनावेदकगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 की धारा 19 के तहत सिविल पुनरीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत।

श्री विनय हरित उप महाधिवक्ता, राज्य/अनावेदकगण की ओर से

मौखिक आदेश

(18.11.2011)

आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश के अनुसार,

1. आवेदक/याचिकाकर्ता ने छ.ग मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 19 के तहत छ.ग मध्यस्थम अधिकरण, रायपुर द्वारा निर्देश याचिका संख्या 64/2005 में दिनांक 01.03.2006 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध यह याचिका दायर की है।

2.मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक एक पंजीकृत ठेकेदार है। मसगांव खुली जेल में लैबोरेटरी ब्लॉक की चार इकाइयों के निर्माण और दो बैरकों के लिए तार की बाड़ लगाने (पानी, शौचालय, फर्श और विद्युतीकरण सहित) के लिए उसका निविदा स्वीकार किया गया था। दोनों पक्षों के बीच वर्ष 1991 में समझौता हुआ था। कार्य की स्वीकृत दर बस्तर सर्कल के सी.एस.आर. से 35% अधिक थी। कार्य पूरा करने की अवधि 11 महीने थी और तदनुसार, कार्य दिनांक 30.05.1992 तक पूरा किया जाना था। कार्य आदेश दिनांक 30.05.1991 को जारी किया गया था।आवेदक के अनुसार, कार्य दिनांक 30.11.1993 को पूरा हो गया था और 16,54,216/- रुपये का अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया था। भुगतान को लेकर कुछ विवाद था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने करार के खंड 29 के तहत कार्यपालन अभियंता, पीडब्लू के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन/अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि आवेदक का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उसने अपनी शिकायत के निवारण और विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता अधिकरण का रुख किया। कार्यवाही के दौरान, सभी दस्तावेज अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यह तर्क दिया गया है कि प्रारंभ में अधिकरण के समक्ष कार्यवाही समझौते के खंड 29 के अनुसार संचालित की गई थी, जिसमें मुख्य अभियंता के रैंक के एक अधिकारी से मिलकर अधिकरण के गठन का प्रावधान है, लेकिन बाद में मुख्य अभियंता ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया। आवेदक ने अधिकरण के गठन के संबंध में आपत्ति उठाई, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और अंततः अधिकरण ने दिनांक 01.03.2006 के आदेश द्वारा अधिनिर्णय पारित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कार्य करार से संबंधित पक्षों के बीच विवाद या मतभेद की स्थिति में, करार के खंड 29 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करेगी जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे अधिकारी

नहीं होगा और इस मामले में, ऐसे किसी तकनीकी सदस्य के अभाव में, माननीय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

और एक जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) से मिलकर बने अधिरकागातगण स्वयं दोषपूर्ण थी और इस प्रकार दो सदस्यों वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अवैध और आरंभिक रूप से शुन्य है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि तकनीकी विभाग के अधिकारी को शामिल करना केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह इस दृष्टिकोण और उद्देश्य से किया गया था कि मामले की तकनीकी व्याख्या की आवश्यकता है और चूंकि तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मध्यस्थता बोर्ड में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण का निर्णय विधिवत गलत था और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने **उत्तरी रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, (2008) 10 एससीसी 249** में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें कंडिका 12 से 13 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 की योजना को सरसरी तौर पर पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इसमें समझौते की शर्तों का यथासंभव पालन करने और/या उन्हें प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह कार्य करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराए गए सभी उपायों का उपयोग कर लिया गया है। श्री देसाई द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार यह सत्य है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ ही, करार द्वारा आवश्यक योग्यताओं और अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा।

"13. "उचित ध्यान" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि कई परिस्थितियों पर उचित ध्यान केंद्रित किया गया है। सामान्य नियम के अनुसार, "आवश्यक" शब्द को व्यापक रूप से उन चीजों के रूप में

परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें करना उचित रूप से अपेक्षित है या जो इच्छित कार्य की पूर्ति के लिए कानूनी रूप से सहायक हैं। आवश्यक उपायों को उठाए जाने वाले उचित कदमों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

14. इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए करार में निर्धारित योग्यताओं या अन्य आवश्यक बातों पर ध्यान नहीं दिया है। यह दोहराना आवश्यक नहीं है कि मध्यस्थता करार में नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, लेकिन नियुक्ति करते समय धारा 11 की उपधारा (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, विचार करना और उसका अनुपयोग आवश्यक है। ऐसा न करने पर नियुक्ति संदिग्ध हो जाती है। इन परिस्थितियों में, हम प्रत्येक मामले में की गई नियुक्ति को अपास्त्र करते हैं और उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नियुक्तियां करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009) 8 एससीसी 520 के कंडिका 43 में नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय पर विचार किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कंडिका उद्धृत किए हैं। कंडिका 48 में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के दायरे को भी संक्षेप में बताया गया है, जो इस प्रकार है:

(i) जहाँ करार में तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता का प्रावधान है (प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों नियुक्त मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे), यदि कोई पक्ष दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है (या दोनों नामित मध्यस्थ नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं),

तो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करेंगे।

(ii) करार में एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान हो और पक्षकार किसी मध्यस्थ पर सहमत न हुए हों नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (5) के तहत शक्ति का प्रयोग करेंगे, यदि पक्षकार दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थता पर सहमत होने में विफल रहते हैं।

(iii) जहां मध्यस्थता करार नियुक्ति प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है, तो चाहे मध्यस्थता एकल मध्यस्थ द्वारा हो या तीन सदस्यीय अधिकरण द्वारा, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करेंगे, यदि कोई पक्ष सहमत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है (या पक्षकार या दो नियुक्त मध्यस्थ सहमत प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित करार पर पहुंचने में विफल रहते हैं या कोई व्यक्ति/संस्था उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी कार्य को करने में विफल रहती है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) जबकि उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत आने वाले मामलों में दूसरे पक्ष द्वारा 30 दिनों के भीतर कार्रवाई न करने पर मध्यस्थता चाहने वाले पक्ष को मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने का अधिकार प्राप्त होगा, धारा 11 की उपधारा (6) में ऐसी कोई समयबद्ध आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थता करार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, या किसी निर्धारित समय सीमा के अभाव में, उचित समय के भीतर सहमत प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई न करने पर पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत याचिका दायर करने का अधिकार होगा।

(v) जहाँ नियुक्ति प्रक्रिया पर पक्षों के बीच सहमति हो गई हो, परन्तु उपधारा (6) के खंड (क), (ख) या (ग) के अधीन मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने

का कारण उत्पन्न न हुआ हो, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपधारा (6) के अधीन आवश्यक उपाय करने हेतु मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने की पूर्व शर्त यह है कि

(i) कोई पक्षकार सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्य करने में विफल रहता है; या

(ii) पक्षकारों (या दो नियुक्त मध्यस्थों) द्वारा अपेक्षित समझौते पर न पहुँच पाने की स्थिति

उन्हें सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया जाएगा; या

(iii) कोई व्यक्ति/संस्था जिसे सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कोई कार्य सौंपा गया है, वह उस कार्य को करने में विफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन **शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी करने का प्रयास करेंगे।**

(vii) यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों, जिनसे मनोनीत व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न हो, या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को उचित ठहराती हों, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, नामित मध्यस्थ को अनदेखा कर सकते हैं और किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं।

4. राज्य/अनावेदक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा पुनरीक्षण आक्षेपित है अधिकरण द्वारा पारित किया गया है, इसलिए अधिकरण द्वारा संचालित

कार्यवाही और पारित अधिनिर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में हैं और अधिकरण द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधता या महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं थी जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं और इसलिए इस पुनरीक्षण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने **मस्जिद कच्चा टैंक बनाम तुफेल मोहम्मद, 1991 सप्लीमेंट-II, एससीसी पृष्ठ 270 का हवाला दिया**, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता और अधीनस्थ अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को अलग दृष्टिकोण लेकर रद्द नहीं कर सकता। तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब वे अनुचित हों या यदि अभिलेख में मौजूद भौतिक साक्ष्यों की सराहना या उन पर विचार नहीं किया गया हो। उन्होंने **कल्पतरु विद्या समस्थे और अन्य बनाम एस.बी. गुप्ता और अन्य (2005) खंड VII एस.सी.सी. पृष्ठ 524 और कुशरो एस. गांधी और अन्य बनाम एन.ए. गुज़देर्द (मृत) एआईआर 1970 एस.सी. पृष्ठ 1468** पर भी भरोसा जताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.यहां प्रश्न उठता है कि क्या विधि, अर्थात् छ.ग मध्यस्थम. अधिकरण अधिनियम, 1983, राज्य लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता या ऐसे किसी अधिकारी को अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देती है, और क्या ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता संबंधी करार की शर्तों के अनुरूप होती, और विवादित मामले के निपटारे के लिए अधिकरण में मुख्य अभियंता को शामिल न करने का क्या प्रभाव होता। अतः, यह विशुद्ध रूप से एक कानूनी प्रश्न है जो इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

6. उपरोक्त संदर्भ में, छ.ग मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (संक्षेप में 'अधिनियम', 1983) की धारा 3 का उल्लेख करना सुसंगत है, जिसमें अधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कार्य अनुबंध से संबंधित या ऐसे किसी

कार्य अनुबंध के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े सभी विवादों या मतभेदों के समाधान के लिए एक मध्यस्थता अधिकरण का गठन करेगी।

अधिनियम, 1983 की धारा 4 सुसंगत है और यहाँ उद्धृत की गई है।

4. अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं उनकी योग्यताएँ।

(1) उपधारा (2) एवं (3) के अधीन रहते हुए

(3) राज्य सरकार एक अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है और

न्यायाधिकरण में उतने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं जितने वह आवश्यक समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1-क. राज्य सरकार अध्यक्ष से परामर्श करके न्यायिक सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकती है, जो अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश या किसी अन्य कारण से उनके पद में रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में, ऐसी रिक्ति के दौरान अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या रह चुका हो।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि-

(i) वह कम से कम सात वर्षों से जिला न्यायाधीश है या रहा है, या

(ii) वह कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक राजस्व आयुक्त है या रह चुका है या राजस्व आयुक्त के समकक्ष पद पर रहा है, या

(iii) वह है या रहा है:

(क) **लोक निर्माण, सिंचाई या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत मुख्य अभियंता, या**

(ख) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की सेवा में कार्यरत मुख्य अभियंता, या

(ग) मध्य प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ उप महालेखाकार, (ग)

कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए:

(परंतु कि खंड (iii) के मामले में, असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम अवधि पांच वर्ष से सिथिलाकर तीन वर्ष कर सकती है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लिमिटेड और अन्य (2008) 13 एससीसी 597** में कंडिका 35 में कहा है कि पक्षकारो के अधिकार और दायित्व निम्नलिखित के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं।" और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, किसी विधि या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई करार /अनुबंध किया जा सकता है। अनुबंध में विधि के प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है या निर्देश द्वारा उन्हें शामिल किया जा सकता है। एक अनुबंध आपसी सहमति से होना चाहिए। इसे अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधि की आवश्यकताओं और कारणों को पूरा करना चाहिए। जब पक्षों के बीच कोई अनुबंध किया जाता है, तो यह निर्णायक होता है कि विधि और विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जबकि एक विधि द्वारा शासित अनुबंध किसी विधि द्वारा शासित होगा, अन्य अनुबंध नहीं होंगे।

8.वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के अनुसार, मध्यस्थता करार की धारा 29 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्ष मुख्य अभियंता के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे विवादों को राज्य सरकार द्वारा

गठित मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेज सकता है, जिसमें तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य विभाग के अधिकारियों में से चुना जाएगा। उनके अनुसार, समझौते की धारा 29 की खंड (क) में यह भी प्रावधान है कि सरकार द्वारा गठित (सभी तकनीकी विभागों के मामलों को संभालने के लिए) उपर्युक्त मध्यस्थता बोर्ड के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव न हो, तो मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा ही नहीं जाएगा।

मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा 3 के खंड (iii) के उपखंड (क) और (ग) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सेवा में मुख्य अभियंता राज्य सरकार के लोक निर्माण, सिंचाई या सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत या मध्य प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ उप महालेखाकार, राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 इस मामले में संबंधित विभाग लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) है, इसलिए करार के अनुसार यदि राज्य सरकार द्वारा इस मामले के लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता या ऐसे किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता, तो किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता और करार की शर्तों का अनुपालन कानून के अनुरूप किया जा सकता था। आवेदक के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाले मध्यस्थता अधिकरण का गठन किया और जब एक सदस्य, अर्थात् संबंधित विभाग के अधिकारी ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया, तो आवेदक ने अधिकरण के गठन पर आपत्ति उठाई, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और अंततः अधिकरण ने दिनांक 01.03.2006 के आदेश द्वारा अधिनिर्णय पारित कर दिया।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मत है कि मुख्य अभियंता या राज्य लोक निर्माण विभाग के ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में, जैसा कि अधिनियम, 1983 या मध्यस्थता करार में प्रावधान है, अधिकरण का गठन उचित नहीं था और संबंधित विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और एक सदस्य वाले उक्त अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम के अनुरूप नहीं है,पक्षकारों के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार, विशेषकर तब जब विधि राज्य लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की नियुक्ति मध्यस्थता अधिकरण में करने की सुविधा प्रदान करती है, तो केंद्रीय सरकारी मध्यस्थता अधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2006 को पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और इसे अपास्त किया जाता है।

11. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई निर्णय नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आई.एम. कुद्दुसी,
न्यायाधीश

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन,
न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी

Translated By YOGITA NAIK Advocate